राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या–2651 / 2016 / जयपुर
2. अपील संख्या–2652 / 2016 / जयपुर
3. अपील संख्या–2653 / 2016 / जयपुर
4. अपील संख्या–2654 / 2016 / जयपुर
5. अपील संख्या–2655 / 2016 / जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राज.,वृत द्वितीय, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स वरूण ब्रेवरीज लिमिटेड,
एन.एच. 8, अजमेर रोड, जयपुर

..........प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री एन.के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 21.12.2017

निर्णय

1. उक्त पाचों अपीलें अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा संयुक्त रूप से पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 26, 55 एवं 61 के तहत् पारित आदेशों को अपास्त किये जाने को चुनौती दी गयी है। अपीलों मे विवादित की गयी राशि का विवरण निम्न तालिकानुसार है :–

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण आदेश दिनांक	अन्तर कर	ब्याज	शास्ति	योग
2651 / 16	121 / अपील्स –I / आरवीएटी / जयपुर / 2016–17	2010–11	20.05.16	28888582	20707336	57777164	107373082
2652 / 16	122 / अपील्स –I / आरवीएटी / जयपुर / 2016–17	2011–12	20.05.16	34717365	20386195	69435270	124539100
2653 / 16	123 / अपील्स –I / आरवीएटी / जयपुर / 2016–17	2012–13	20.05.16	37662614	17234412	75325228	130222254
2654 / 16	124 / अपील्स –I / आरवीएटी / जयपुर / 2016–17	2013–14	20.05.16	38287674	9189042	76575348	124052064
2655 / 15	125 / अपील्स –I / आरवीएटी / जयपुर / 2016–17	2014–15	20.05.16	27986336	12313988	55972672	96272996

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जायेगी।

लगातार.............................2.

3. उक्त समस्त प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड द्वितीय, वृत–द्वितीय प्रतिकरापवंचन, राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 19.08.2015 को अपीलार्थी कम्पनी के व्यवसायिक स्थल का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Fruit Pulp से तैयार पेय पदार्थ Slice नामक उत्पादों की बिक्री आरवेट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 "Processed or preserved vegetables and fruits including fruit jam, jelly, pickle, fruit squash, paste, fruit drink and fruit juice, sharbat and thandai" से आच्छादित मानते हुए इसके विक्रय पर 5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माना गया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद आरवेट अधिनियम की अनुसूची V के तहत् 14 प्रतिशत से कर योग्य वस्तु है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में उपरोक्त तालिका अनुसार अंतर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा करापवंचन मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत् शास्ति का आरोपण किया गया। जिससे अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती देने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने के आदेश दिनांक 21.07.2016 को पारित किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. राजस्व/विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित कर आरोपित करारोपण को अपास्त किया गया। व्यवहारी द्वारा पेय पदार्थ Slice का विनिर्माण कर विक्रय किया जाता है। उक्त विक्रीत पेय पदार्थ आम के गूदे (Pulp) से तैयार किया जाता है। व्यवहारी द्वारा विनिर्मित पेय पदार्थ "Slice" Fruit Pulp Drink की श्रेणी में आता है व वेट अधिनियम के अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 में Fruit Drink/Fruit Juice से भिन्न वस्तु होने के कारण अधिनियम की अनुसूची V की प्रविष्टि सं. 16(6) में आच्छादित होने से 14 प्रतिशत की सामान्य कर दर से करारोपण योग्य है। राजस्व/विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया है कि अपीलीय अधिकारी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 21.07.2016 द्वारा व्यवहारी के उत्पाद को अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 में Fruit Drink से आच्छादित मानकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। व्यवहारी द्वारा

लगातार...........................3.

अपने प्रश्नगत उत्पाद पर 14 प्रतिशत की सामान्य कर दर के आपेक्षा 5 प्रतिशत की निम्न कर दर ही राजकोष में जमा करवायी है, जो धारा 61 के तहत् करापवंचन की श्रेणी में आता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इस प्रकार विभाग के उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आक्षेपित आदेशों दिनांक 21.07.2016 को अपास्त करने व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित करारोपण आदेश को यथावत रखते हुए अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उसका उत्पाद Slice पर अधिनियम की अनुसूची V 16(VI) के अन्तर्गत करारापेण किया गया, जो अविधिक है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.07.2014 तक विवादित उत्पादों के विक्रय पर राजस्थान वेट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 के तहत् 5 प्रतिशत की दर से कर विधिक रूप से वसूल किया जाकर राजकोष में जमा करवाया गया। जबकि निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे उक्त प्रविष्ठि के तहत न मानकर अनुसूची V में मानते हुए 14 प्रतिशत की दर से कर देयता मानकर अन्तर कर की राशि, शास्ति व ब्याज आरोपित किया गया, जिसे अविधिक बताते हुए तर्क किया कि उसका उत्पाद Slice फ्रूट ड्रिंक एवं फ्रूट पल्प ड्रिंक है जो प्रोसेस्ड (Processed) एवं प्रिजर्वड् फ्रूट (Preserved Fruit) के ही अंग है। अतः अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उक्त उत्पाद फ्रूट ड्रिंक है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद को Fruit pulp drink की श्रेणी में मानते हुए करारोपण किया जबकि कोई भी Fruit drink बिना फल के गूदे (Pulp) के नहीं बनाया जा सकता। प्राकृतिक रूप से कुछ ही फलों जैसे नारियल से पीने योग्य अवस्था में Fruit Drink प्राप्त होता है एवं शेष फलों जैसे मौसमी, संतरा, सेब, अनानास, अंगूर, अनार इत्यादि से भी पेय पदार्थ निकालने के लिये उन्हें दबाना, मथना और निचोड़ना पड़ेगा। कर निर्धारण अधिकारी की अवधारणा के अनुसार तो केवल नारियल से प्राप्त पानी ही फ्रूट ड्रिंक होगा तथा अन्य समस्त फलों से प्राप्त ड्रिंक फ्रूट पल्प ड्रिंक की श्रेणी में आयेंगे।

7. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि समान तथ्यों पर **राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 2613/2016/जयपुर मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेज प्रा. लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन राज, वृत द्वितीय जयपुर के निर्णय दिनांक 22.11.2017 में यह निर्णित किया गया है कि** Fruit Drink में Fruit Pulp Drink **सम्मलित है।** इस प्रकार

लगातार.............................4.

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए यही तर्क प्रस्तुत किया गया है कि Slice एक फ्रूट ड्रिंक है जो अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत (Classified) है जिसके अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर संग्रहीत कर जमा करवाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वार अन्तर कर के संबंध में पारित आदेश तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं था। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 21.07.2016 द्वारा अपास्त करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.07.2016 पुष्ट किये जाने एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत उक्त अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

9. अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित लेखा वर्षों में आम के गूदे से तैयार फ्रूड ड्रिक Slice उत्पादों का विक्रय किया गया हैं। जिसमें अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम के शैडयूल चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत दिनांक 13.07.2014 तक 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए कर जमा कराया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माजा को फ्रूट ड्रिंक/जूस नहीं होना मानते हुए और वेट अधिनियम की कर दर अनुसूची I, II, III, IV, VI में कहीं भी वर्णित नहीं होने के कारण कर दर अनुसूची V के अन्तर्गत शेष वस्तुओं के रूप में 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रकरणों में यह तथ्य विवादित है कि आम के गूदे (Pulp) से तैयार पेय पदार्थ Slice फ्रूट ड्रिंक से भिन्न है अथवा नहीं तथा इस पर कर देयता क्या होगी?

10. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ (Co-ordinate Bench) द्वारा उपरोक्त के संबंध में अपने प्रकरण अपील संख्या 759 से 763/2017 व 2613 से 2617/2016 जयुपर मैसर्स हिन्दुस्तान कोको कोला ब्रेवरजेज प्रा.0लि0 निर्णय दिनांक 22.11.2017 में यह स्पष्ट रूप अभिनिर्धारित किया गया है कि **"फ्रूट ड्रिंक (Fruit Drink) एक विस्तृत वर्गीकरण है जिसमें फ्रूट पल्प ड्रिंक (Fruit Pulp Drink) भी सम्मिलित है जब फ्रूट पल्प ड्रिंक को विधायिका द्वारा फ्रूट ड्रिंक (Fruit Drink) से पृथक वर्गीकृत कर Specific Entry में नहीं रखा गया है तब फ्रूंट ड्रिंक (Fruit Drink) से फ्रूट पल्प ड्रिंक को बिना Specific Entry पृथक वर्गीकृत (Classified) करना मनमाना वर्गीकरण (Arbitrary Classification) है तथा इसे एक Reasonable Classification नहीं कहा जा**

लगातार..............................5.

सकता। अतः दिनांक 14.07.2014 के संशोधन के पूर्व तक अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद Slice वेट अधिनियम की प्रविष्टि सं. 107 के अन्तर्गत कर योग्य है। अतः दिनांक 14.07.2014 को वेट अधिनियम की अनुसूची V की प्रविष्टि संख्या 16(VI) में फ्रूट पल्प ड्रिंक (**Fruit Pulp Drink**) को जोड़ने एवं दिनांक 30.07.2014 के संशोधन द्वारा अनुसूची V की प्रविष्टि 16(VI) में **Fruit Pulp Drink** को हटाकर **Packed Fruit Drink** जोडने एवं अनुसूची IV के प्रविष्टि सं. 107 के **Packed Fruit Drink** को हटाने से अपीलार्थी का उत्पाद दिनांक 14.07.2014 से वेट अधिनियम की **Residuary list** अनुसूची V से सामान्य कर से कर योग्य है।"

11. उपर्युक्त विवेचन एवं न्यायिक निर्णयों के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आक्षेपित वर्षों में 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के लिये पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 में अपीलार्थी के उत्पादों पर दिनांक 13.07.2014 तक की कर देयता का आरोपित अंतर कर व तद्नुसार आरोपित ब्याज को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

12 यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण अपील सं. 2655/2015 में आक्षेपित कर निर्धारण वर्ष 2014–15 के अन्तर कर एवं ब्याज का प्रश्न अन्तर्निहित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के आदेश दिनांक 20.05.2016 में उक्त सम्पूर्ण वर्ष के लिये बिक्रीत उत्पाद Slice को अनुसूची V के तहत् Residuary Entry से आच्छादित गानकर सामान्य कर दर 14 प्रतिशत से कर योग्य निर्धारित किया और अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के आदेश को अपास्त कर इसे अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 में Fruit Drink से आच्छादित होना मानकर आरोपित अन्तर कर व ब्याज को अपास्त कर दिया गया। जबकि उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी के उत्पाद Slice पर आक्षेपित कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में दिनांक 13.07.2014 तक अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि 107 के अन्तर्गत Fruit Drink के अनुसार कर देयता है तथा दिनांक 14.07.2014 से अधिनियम की अनुसूची V के अनुसार सामान्य कर दर से कर देयता है।

13 चूंकि वर्तमान प्रकरणों में विवाद बिन्दु राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स हिन्दुस्तान कोको कोला ब्रेवरजेज प्रा०लि० निर्णय दिनांक 22.11.2017 के समान होने से उससे पूर्णतया आच्छादित हैं, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत् आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

14. उक्त समस्त विवेचनानुसार राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

लगातार..............................6.

15. **आदेश**

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2651/2016/जयपुर से 2655/2016/जयपुर आंशिक रूप से इस प्रकार स्वीकार की जाती हैं कि –

(i) व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद "Slice" आक्षेपित कर निर्धारण वर्षों में दिनांक 13.07.2014 तक राजस्थान वेट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि सं. 107 के अधीन कर योग्य होने से कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.05.2016 में दिनांक 13.07.2014 तक के अन्तर कर व ब्याज को अपास्त करने की सीमा तक एवं सभी आक्षेपित कर निर्धारण वर्षों की सम्पूर्ण शास्ति को अपास्त करने के अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.07.2016 की पुष्टि की जाती है, तथा

(ii) उक्त बिक्रीत उत्पाद "Slice" कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में दिनांक 14.07.2014 से वेट अधिनियम की अनुसूची V के अन्तर्गत सामान्य कर दर से कर योग्य होने से दिनांक 14.07.2014 से आरोपित अन्तर कर व ब्याज को अपास्त करने की सीमा तक अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.07.2016 को निरस्त किया जाता है। अतः कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.05.2016 में दिनांक 14.07.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक आरोपित अन्तर कर व ब्याज को बहाल कर इस सीमा तक कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की जाती है।

16. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जाये।

21.12.17   21/12/17

(ओमकार सिंह आशिया)   **(राजीव चौधरी)**
सदस्य   **सदस्य**